कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), आजमगढ़

पत्रॉक 305/अधि0/स0सु0/2020 दिनॉक 19 जून, 2020

अधिसूचना

चूँकि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सडक अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है;

और जहॉ उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम (178) द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों के अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यानों की विभिन्न श्रेणियों की उपधारा (1) के अर्न्तगत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचना संख्या–1377 दिनॉक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत् सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है;

अतः मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा–112 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आजमगढ़ जनपद के ग्रामीण मार्गो के नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्थान (कहॉ से कहॉ तक) जहॉ गति प्रतिबन्धित रहेगी	यान की श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गयी अधिकतम गति सीमा (किमी प्रति घन्टा)			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटो तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटो तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4–5 एवं 6 को छोडकर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	आजमगढ–सिधौना–वाराणसी	आजमगढ–सिधौना	40	50	60	50
2	आजमगढ़–पल्हना–मेंहनाजपुर	आजमगढ़–मेंहनाजपुर	40	50	60	50
3	आजमगढ़–मेंहनगर–लालगंज	आजमगढ़–लालगंज	40	50	60	50
4	आजमगढ़–लालगंज–भीरा	लालगंज–भीरा	40	50	60	50
5	आजमगढ़–ठेकमा–जौनपुर	आजमगढ़–ठेकमा	40	50	60	50
6	आजमगढ़–सठियॉव–मुबारकपुर	सठियॉव–मुबारकपुर	40	50	60	50
7	आजमगढ़–जहानागंज–गाजीपुर	आजमगढ़–जहानागज	40	50	60	50
8	आजमगढ़–मऊ	आजमगढ– सठियॉव	40	50	60	50
9	आजमगढ़–मुबारकपुर–जीयनपुर	सठियॉव– जीयनपुर	40	50	60	50
10	बिन्द्राबाजार–खरिहानी	बिन्द्राबाजार–खरिहानी	40	50	60	50
11	जिवली–देवागॉव	जिवली–देवागॉव	40	50	60	50
12	देवागॉव–मेहनाजपुर	देवागॉव–मेहनाजपुर	40	50	60	50
13	लालगंज–तरवॉ	लालगंज–तरवॉ	40	50	60	50
14	अम्बारी–मार्टिनगंज	अम्बारी–मार्टिनगंज	40	50	60	50
15	माहुल–पवई	माहुल–पवई	40	50	60	50
16	सरायमीर–दीदारगंज	सरायमीर–दीदारगंज	40	50	60	50

Scanned with CamScanner

17	दीदारगंज–बरदह	दीदारगंज–बरदह	40	50	60	50
18	कप्तानगंज–अहिरौला	कप्तानगंज–अहिरौला	40	50	60	50
19	कप्तानगंज–महराजगंज–जीयनपुर	कप्तानगंज–महराजगंज–जीयनपुर	40	50	60	50
20	जीयनपुर–बिलरियागंज	जीयनपुर–बिलरियागंज	40	50	60	50
21	राठियॉव –जहानागंज	राठियॉव –जहानागंज	40	50	60	50
22	बिलरियागंज–रौनापार	बिलरियागंज–रौनापार	40	50	60	50
23	गम्भीरपुर–नन्दावँ	गम्भीरपुर–नन्दावँ	40	50	60	50
24	फरिहा–कप्तागंज	फरिहा–कप्तागंज	40	50	60	50
25	आजमगढ़–निजामाबाद–फूलपुर–शाहगंज	आजमगढ़–फूलपुर	40	50	60	50
26	रानी सराय–चक्रपानपुर–चिरैयाकोट	रानी सराय–चक्रपानपुर	40	50	60	50

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनो छोर –प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक के अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमकें, इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा –

अ) अग्निशमन वाहन।

ब) एम्बुलेंस।

स) पुलिस वाहन।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।

(3) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोडकर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा –112 की उपधारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या–1377 दिनॉक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित सीमा यथावत लागू रहेगी।

(डॉ0 आर0एन0 चौधरी)
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
आजमगढ।

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
4. पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
5. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0), उत्तर प्रदेश।
7. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आजमगढ़।
8. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त मार्गों पर आवश्यकतानुसार साइनेज तथा बोर्ड लगवाने का कष्ट करें।
9. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (आई0टी0), कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन), आजमगढ़।
11. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने कष्ट करें।
12. ब्यूरों प्रमुख, दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान/अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र के आगामी अंक में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(डॉ0 आर0एन0 चौधरी)
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
आजमगढ़।

Scanned with CamScanner